पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन न0–02/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0: ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/02/22 दिनांक: 28.01.2022

विषयः मोटर ट्रॉली/ट्रॉली/लॉरी इत्यादि के परिचालन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉ ।

1. संक्षिप्त परिचय

दिनांक 11.01.2022 को धनबाद मंडल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई । कार्यरत स्टेशन मास्टर/मैक्लुस्कीगंज द्वारा 14.20 बजे से 16.20 बजे तक टॉवर वैगन संख्या 210025 (खेलारी) को मैक्लुस्कीगंज – निन्द्रा स्टेशनों के बीच में अनुरक्षण कार्य के लिए अप लाइन में पावर ब्लॉक दिया गया था । टॉवर वैगन कार्य समाप्ति के बाद वापस मैक्लुस्कीगंज लौट रहा था, उसी समय एक मोटर ट्रॉली बिना ब्लॉक संरक्षा के तथा बिना स्टेशन मास्टर/मैक्लुस्कीगंज की जानकारी के अप लाइन से निन्द्रा स्टेशन के लिए ब्लॉक खंड में प्रवेश कर गई । परिचालन के दौरान मैक्लुस्कीगंज – निन्द्रा स्टेशन के बीच तीखा घुमाव एवं तीव्र कटाव के क्षेत्र कि0मी0 168/07–168/09 के बीच अप लाइन में 16.20 बजे के करीब टॉवर वैगन और मोटर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई जिसमें वरीय अनुभाग अभियंता और मोटर ट्रॉली चालक समेत 03 रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गई । जॉच के क्रम में यह पाया गया कि मोटर ट्रॉली प्रभारी और उस पर सवार रेल कर्मचारियों द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम एवं भारतीय रेल पथ नियमावली में तीखें घुमाव एवं तीव्र कटाव वाले क्षेत्र में मोटर ट्रॉली के परिचालन के दौरान बरती जाने वाली संरक्षा सावधानियों का पालन नहीं किया गया ।

2. प्रकियागत/पद्धतिबद्ध विफलताः

ट्रॉली स्टॉफ द्वारा मोटर ट्रॉली/स्वनोदित ट्रॉली से संबंधित सामान्य एवं सहायक नियम एवं भारतीय रेल पथ नियमावली के निम्नलिखित नियमों का अनुपालन ट्रॉली स्टाफ द्वारा नहीं किया जानाः–

- कोई भी ट्रॉली जो किसी मोटर द्वारा स्वनोदित है का परिचालन ब्लॉक प्रोटेक्शन के तहत ही किया जाएगा। सामान्य नियम– 15.18 (2), सहायक नियम 15.18 (3) (iii) एवं सहायक नियम 15.25 (1) (i) एवं 2(i) ।
- तीखें घुमाव, कटिंग एवं सुरंग इत्यादि से पार करते समय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाल झंडी या बत्ती दिखाये जाने से संबंधित नियम – सहायक नियम 15.19 (सी) (iii) एवं सहायक नियम 15.22 (4) (iv)।
- बिना ब्लॉक प्रोटेक्शन के कार्य करना –भारतीय रेल पथ नियमावली का पारा 838(5) एवं 837(4) एवं (5)

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जाने वाली सावधानियॉः

क. उपरोक्त पारा 2 में मोटर ट्रॉली के संचालन से संबंधित वर्णित नियमों का पालन नहीं किये जाने एवं निर्धारित प्रकिया के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप मोटर ट्रॉली और टॉवर वैगन के बीच टक्कर की घटना घटित हुई । कुछ महत्वपूर्ण नियमों को नीचे दोहराया जा रहा है, जिनका कड़ाई से अनुपालन सर्वसंबंधित द्वारा किया जाना हैं–

(i) सामान्य नियम 15.18(2)एवं सहायक नियम 15.25(1)(i) जिसके अनुसार कोई भी ट्रॉली जो किसी मोटर द्वारा स्वनोदित है, मोटर ट्रॉली है और इसके अतंर्गत मोटर ट्रॉली, हल्का मोटर ट्रॉली/मोपेड ट्रॉली/स्कुटर ट्रॉली शामिल है ।

(ii) सहायक नियम 15.25(2)(i) के अनुसार एकहरी एवं दोहरी लाइन पर गाड़ियों के संचालन का तत्समय लागू कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी मोटर ट्रॉली का संचालन केवल ब्लॉक प्रोटेक्शन के तहत ही किया जाएगा ।

(iii) सहायक नियम 15.18(3)(ii) एवं (iv), सहायक नियम 15.22(2)(i),(iv) एवं सहायक नियम 15.25 (1)(vi), जिसके अनुसार केवल सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी ही मोटर ट्रॉली का उपयोग करेंगे और कोई भी रेल सेवक जिसके पास ऐसा वैद्य परमिट नहीं हो, मोटर ट्रॉली का उपयोग/संचलन नहीं करेगा ।

(iv) सहायक नियम 15.19 के पारा (सी) के उप पारा (iii) में वर्णित है कि जहॉ ट्रॉली स्टेशन नहीं बनाए गए हों और बॉल या डीस्क का कोई संकेत उपलब्ध नहीं हो वहॉ घुमाव या कटाव से गुजरते समय जब दृश्यता 800 मीटर से कम तक सीमित हो वहॉ ट्रॉली उपयोगकर्त्ता अपनी ट्रॉली का बचाव करने के लिए एवं जब आवश्यकता हो ट्रॉली उपयोगकत्ताओं को सिगनल दिखाने के लिए कम से कम 350 मीटर की दूरी पर एक या उससे अधिक ट्रॉलीमैन को एक सीटी, हाथ सिगनल और कुहासा सिगनलों के साथ प्रतिनियुक्त करेगा । इस प्रकार पद स्थापित ट्रॉलीमैंन आने वाले किसी गाड़ी को देखते ही सीटी बजाएगा तथा तत्काल खतरे का हाथ सिगनल प्रदर्शित करेगा एवं लाइन पर तीन पटाखें लगाएगा ।

(v) सहायक नियम 15.22 के पारा 4 के उप पारा (vi) में वर्णित है कि जब घुमाव, कटाव, सुरंग, कुहासा, तूफान के कारण या किसी अन्य कारण से आगे और पीछे 800 मीटर तक लाइन की दृश्यता प्राप्त करना संभव नहीं हो तो ऐसे ट्रॉली के आगे और पीछे या दोनों तरफ जैसी स्थिति हो, 800 मीटर की दूरी पर एक आदमी एक लाल सिगनल लेकर चलेगा, जिसमें दिन के समय एक लाल झंडी और रात के समय एक लाल बत्ती होगा ।

(vi) सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में वर्णित ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/लॉरी इत्यादि के संचालन से संबंधित नियमों के अतिरिक्त विस्तृत विवरण रेल पथ नियमावली 2020 के अध्याय 8 भाग ख में भी वर्णित है। इन सभी प्रावधानों का आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए । तीखें घुमावों, कटावों, सुरंगों इत्यादि के क्षेत्र में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानियॉ बरती जानी चाहिए ।

ख. वरीय प्रशासनिक ग्रेड कमिटी द्वारा इस केस की जॉच रिपोर्ट में कुछ आवश्यक कार्रवाइयों की संस्तुति की गयी हैं जिसे महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल ने अनुमोदित किया है और इसका अनुपालन सभी मंडल द्वारा किया जाना अपेक्षित हैः–

(i) जहॉ तक संभव हो पुश ट्रॉली को ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक संरक्षा के तहत जहां भी परिचालनिक सुविधा हो, किया जाना चाहिए अन्यथा कार्यरत स्टेशन मास्टर से खंड के गाड़ियों के संचलन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर और सावधानियों के अनुपालन के साथ करना चाहिए । दोनों छोर के स्टेशन पर आदमी को रखा जा सकता है जो गाड़ियों की स्थिति से संबंधित सूचना मोबाईल या किसी अन्य संचार साधनों द्वारा लगातार ट्रॉलीकर्मी दल को देगा ।

(ii) भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 815 (2) (a) के अनुसार ध्वनि संकेतक बोर्ड (W/L) 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए । इकहरी लाइन, दोहरी लाइन एवं मल्टीपल लाइन सेक्शन में (ब्लॉक एवं दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के तहत गाड़ी संचालन के दौरान किसी भी ओर से गाड़ी/मशीन आ सकती है) दोनों ओर ध्वनि संकेतक बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की

घटना को रोका जा सकें जहां तीखें घुमाव कटाव/सुरंग या घाट सेक्शन इत्यादि में जब दृश्यता सीमित/अस्पष्ट/बाधित हो । आगे इस बात की भी संस्तुति की गई है कि दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में ब्लॉक के दौरान कार्य करने वाले मशीन, लोकोमोटिव, टॉवर वैगन, सेल्फ प्रोपेल्ड (स्वनोदित) वाहन इत्यादि की अधिकतम गति सीमा 40 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए जब वे किसी भी ओर से ध्वनि संकेतक बोर्ड के मध्य पार कर रहे हों । सभी मंडल अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें जिसका विस्तृत विवरण उपर दिया गया है ।

(iii) तीव्र घुमावों, कटावों इत्यादि के कारण जहॉ दृश्यता सीमित/अस्पष्ट/बाधित हो वैसे क्षेत्र में सुरक्षित स्थान (Refuges) एवं प्रर्यवेक्षण पोस्ट (भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 834 के अनुसार) की व्यवस्था की जानी चाहिए । सभी मंडल तत्काल इस संबंध में सर्वेक्षण करें तथा ऐसे स्थानों की सूची बनाए और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

सर्वसंबंधित द्वारा उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडल इस संबंध में सर्वसंबंधित स्टाफ का काउंसलिंग सुनिश्चित करें ।

SHIV KUMAR PRASAD

Digitally signed by SHIV KUMAR PRASAD
DN: c=IN, o=INDIAN RAILWAY, ou=, 2.5.4.20=41b98c63058427ed74be85365bfee68b04454f21b047cbd7a639a7e9be7ee13ac818219487076581915 9f159a272b1cb458e9f5, postalCode=844101, st=Bihar, serialNumber=009eaf25d039cda705294567, cn=SHIV KUMAR PRASAD
Date: 2022.01.28 14:18:54 +05'30'

(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0एवंदू0 सं0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ ।
3. मु0 या0 यो0 प्र0, मु0 या0 परि0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0 वि0 वि0 इंजी0, मु0 वि0लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. सभी वमसंअ0, वमपरिप्र0,वमइंजी/समन्वय, वमंविई0/टीआडी, वमंविई0/परि0, वमंसिदूई0, ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।